न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 154/2022

अनवान :

1. इन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
2. रामनिवास पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. चन्द्रमुखी पुत्री फुला जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल न्याणा तहसील व जिला हिसार।
2. थानाराम पुत्री मन्नीदेवी पत्नी बीरूराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. विजय लक्ष्मी पुत्री शांति जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रोशनी
5. पार्वती
6. मानीदेवी
7. धर्मी
   } पुत्रियां मन्नीदेवी पत्नी बीरूराम जाति जाट निवासीगण रासलाना तहसील भादरा
8. शेरसिंह पुत्र केसरदेवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा।
9. सिंगारी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
10. राजेश कुमार
11. सुरेश कुमार
    } पुत्रान रामजीलाल जाति जाट निवासीगण गढडा
12. श्री भगवान पुत्र केसर पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
13. धनकौर पत्नी हंसराज पुत्री केसर जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल बनडा तहसील तारानगर जिला चुरू।
14. राजबाला पुत्री केसर पत्नी सतवीर जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
15. फुली पत्नी मामचन्द पुत्री सरबती पत्नी नोरंगराम जाति जाट निवासी हाल सरदारगढिया तहसील भादरा।
16. किताबो पत्नी अमरसिंह पुत्री सरबती पत्नी नोरंगराम जाति जाट निवासी हाल सरदारगढिया तहसील भादरा।
17. कृष्णा
18. धर्मपाल
19. त्रिलोकचन्द
20. जगदीश
    } पिसरान सरबती पत्नी नोरंगराम निवासीगण झांसल तहसील भादरा
21. शेरसिंह
22. रोहताश
23. शारदा
    } पिसरान लिलावती उर्फ चन्द्रावली जाति जाट निवासीगण ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
24. कान्ता पुत्री सतवीर पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी शेरडा हाल ढिलकी जाटान त0 नोहर ।
25. मंजू पुत्री सतवीर पत्नी मदन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
26. कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
27. ओमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति [illegible] भादरा।
28. विद्या पत्नी भुरूराम पुत्री रामलाल जाति जाट [illegible] हाल राखी त0 भादरा।
29. लिछमादेवी पत्नी रमेश जाति [illegible] (मृतक)
30. विक्रम पुत्र रमेश जाति जाट निवासी [illegible]
31. विवेक पुत्र रमेश जाति जाट निवासी शेरडा तहसील [illegible]रा।
32. चन्द्रकला पत्नी विनोद जाति जाट निवासी शेरडा [illegible] पत्नी जगदीश जाति [illegible]वासी बैरान तहसील लुहारू जिला भिवानी।
33. रवि पुत्र विनोद नाबालिग जरिये वली ताउ रामनिवास जाति जाट नि0 शेरडा त0 भादरा।
34. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

35. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
36. राजबाला पुत्री नन्दराम पत्नि बलवीर जाति जाट निवासी शेरडा हाल भैरया तहसील व जिला हिसार।

:—प्रतिवादी

आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री धर्मपाल बेरवाल एवं वकील प्रतिवादी श्री सतवीर बैनिवाल, श्री हरदत सिंह व श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा शेरडा के खाता सं0 409/406 के ख0सं0 561 की 1.0490 है0, ख0सं0 853 की 1.1760 है0, ख0सं0 861 की 4.0470 है0, ख0सं0 879 की 5.1980 है0 कुल खसरा 4 की कुल 11.4700 है0 बारानी वादभूमि में वादी सं0 1 इन्द्रसिंह को 1/12 हिस्सा, वादी सं0 2 रामनिवास को 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 24 कान्ता व प्रतिवादी सं0 25 मन्जू को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 26 कृष्ण कुमार को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 27 ओमप्रकाश को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 30 विक्रम सिंह को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 31 विवेक को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 33 रवि को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 36 राजबाला को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं0 1 ता 23 ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 24 ता 28, 30 ता 33 व 36 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 28 ने वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 24 ता 27 के के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 32 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 33 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17/1/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट—ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान

प्रकरण सं0 : 154/2022

अनवान :

1. इन्द्रसिंह पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
2. रामनिवास पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।

:— वादीगण

बनाम

1. चन्द्रमुखी पुत्री फुला जाति जाट निवासी भिरानी तहसील भादरा हाल न्याणा तहसील व जिला हिसार।
2. थानाराम पुत्री मन्नीदेवी पत्नी बीरूराम जाति जाट निवासी रासलाना तहसील भादरा।
3. विजय लक्ष्मी पुत्री शांति जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
4. रोशनी
5. पार्वती
6. मानीदेवी
7. धर्मी

(4–7) पुत्रियां मन्नीदेवी पत्नी बीरूराम जाति जाट निवासीगण रासलाना तहसील भादरा

8. शेरसिंह पुत्र केसरदेवी पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गदरा तहसील भादरा।
9. सिंगारी पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
10. राजेश कुमार
11. सुरेश कुमार

(10–11) पुत्रान रामजीलाल जाति जाट निवासीगण गढडा

12. श्री भगवान पुत्र केसर पत्नी हंसराज जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा।
13. धनकौर पत्नी हंसराज पुत्री केसर जाति जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल बनडा तहसील तारानगर जिला चुरू।
14. राजबाला पुत्री केसर पत्नी सतवीर जाट निवासी गढडा तहसील भादरा हाल राजपुरिया तहसील सिद्धमुख जिला चुरू।
15. फुली पत्नी मामचन्द पुत्री सरबती पत्नी नोरंगराम जाति जाट निवासी हाल सरदारगढिया तहसील भादरा।
16. किताबो पत्नी अमरसिंह पुत्री सरबती पत्नी नोरंगराम जाति जाट निवासी हाल सरदारगढिया तहसील भादरा।
17. कृष्णा
18. धर्मपाल
19. त्रिलोकचन्द
20. जगदीश

(17–20) पिसरान सरबती पत्नी नोरंगराम निवासीगण झांसल तहसील भादरा

21. शेरसिंह
22. रोहताश
23. शारदा

(21–23) पिसरान लिलावती उर्फ चन्द्रावली जाति जाट निवासीगण ढिलकी जाटान तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

24. कान्ता पुत्री सतवीर पत्नी राजेन्द्र जाति जाट निवासी शेरडा हाल ढिलकी जाटान त0 नोहर ।
25. मंजू पुत्री सतवीर पत्नी मदन जाति जाट निवासी ढिलकी जाटान तहसील नोहर।
26. कृष्ण कुमार पुत्र रामलाल जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
27. औमप्रकाश पुत्र रामलाल जाति जाट तहसील भादरा।
28. विद्या पत्नी भुरूराम पुत्री रामलाल जाति जाट नि0 शेरडा हाल राखी त0 भादरा।
29. लिछमादेवी पत्नी रमेश जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।(मृतक)
30. विक्रम पुत्र रमेश जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
31. विवेक पुत्र रमेश जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा।
32. चन्द्रकला पत्नी विनोद जाति जाट निवासी शेरडा [illegible] पत्नी जगदीश जाति जाट निवासी बैरान तहसील लुहारू जिला भिवानी।
33. रवि पुत्र विनोद नाबालिग जरिये वली ताउ रामनिवास जाति जाट नि0 शेरडा त0 भादरा।
34. एसबीआई शाखा डाबडी जरिये शाखा प्रबंधक डाबडी।
35. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।
36. राजबाला पुत्री नन्दराम पत्नि बलबीर जाति जाट निवासी शेरडा हाल भैरया तहसील व जिला हिसार।

:— प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

Kalpit
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner

दावा बाबत : इस्तकरार हक
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955
उपस्थिति : वकील श्री धर्मपाल बैरवाल : वादीगण
वकील श्री सतवीर बैनीवाल : प्रतिवादी सं0 1 ता
23, 26 ता 28, 30,
वकील श्री हरदत सिंह : प्रतिवादी सं 31 ता 33
वकील श्री पवन सिहाग : प्रतिवादी सं 24, 25, 36

निर्णय

दिनांक : 17.1.25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 409/406 के ख0सं0 561 की 1.0490 है0, ख0सं0 853 की 1.1760 है0, ख0सं0 861 की 4.0470 है0, ख0सं0 879 की 5.1980 है0 कुल खसरा 4 की कुल 11.4700 है0 बारानी वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त वादभूमि में वादी सं0 1 इन्द्रसिंह का 1/36 हिस्सा, वादी सं0 2 रामनिवास का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 1 ता 7 की पूर्वजा फुला पुत्री हुणता का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 8 ता 14 की पुर्वजा केसर पुत्री हुणता का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 15 ता 23 की पुर्वजा सरबती पुत्री हुणता का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 24 व 25 के पिता सतवीर का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 26, 27, 28 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 29 का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 30, 31 प्रत्येक का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 32, 33 प्रत्येक का 1/36 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि वादीगण के मौरूशाला हुणताराम की हुआ करती थी। हुणताराम की मृत्यु के बाद इसके वारिसान फुला, रामलाल, तोखराम, केसरदेवी, सरबती, नन्दराम के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज हो गई। फुला, केसर, सरबती पुत्रियां हुणता की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान को पक्षकार बनाया गया है। फुला पुत्री हुणताराम, फुला की पुत्री मन्नी व मन्नी की पुत्री शान्ती की मृत्यु हो चुकी है। रामलाल के पुत्र सतवीर की मृत्यु हो चुकी है। केसरदेवी के वारिस रामजीलाल फौत हो चुका है। सरबती की लडकी लीलावती उर्फ चन्द्रावली फौत हो चुकी है। नन्दराम का लडका विनोद फौत हो चुका है। चन्द्रकला पत्नी विनोद ने दूसरी शादी कर ली है। वादभूमि वादीगण के नाम से सही हिस्सा कस्सी दर्ज नहीं होने से वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान हो रहा है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 23, 26 ता 28, 30, 32, 33, 36 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 24, 25, 35 की ओर से जबावदावा पेश किया गया। प्रतिवादी सं0 31 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया। वकील वादीगण ने प्रतिवादी सं0 34 को तर्क किए जाने का निवेदन किया। राजीनामा प्रस्तुत किए जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में रामनिवास पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी शेरडा तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी संवत 2075–2078 रोही मौजा शेरडा खाता संख्या 409/406 प्रदर्श 1, मृत्यु प्रमाण पत्र हुणताराम प्रदर्श 2, वारिस प्रमाण पत्र हुणताराम प्रदर्श 3, मृत्यु प्रमाण पत्र फूला प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र मनी देवी प्रदर्श 5, वारिस प्रमाण पत्र शान्ति देवी प्रदर्श 6, वारिस प्रमाण पत्र फूला प्रदर्श 7, मृत्यु प्रमाण पत्र शांति प्रदर्श 8, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र रामलाल प्रदर्श 9 व 10, मृत्यु प्र[illegible]मा प्रदर्श 10ए, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र केशर देवी प्रदर्श [illegible] प्रदर्श 12, मृत्यु प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र सरबती [illegible] ग्राम पंचायत झांसल प्रदर्श 16, सदस्य प्रमाण पत्र लिलावती प्रदर्श 17, वारिस प्रमाण पत्र लिछमा देवी ग्राम पंचायत शेरडा प्रदर्श 18 व सदस्य प्रमाण पत्र सतवीर पुत्र रामलाल [illegible]म पंचायत शेरड़ा प्रदर्श 19 प्रदर्शित करवाये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण एवं

Kalpit
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि में हिस्सा करसी सही नहीं होने से वादीगण व प्रतिवादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत जबावदावा तथा इकबाल दावा एवं वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम शेरडा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि में अपनी हिस्सा करसी सही किए जाने की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जमाबंदी, वारिस व सदस्य प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 से 19 प्रदर्शित करवाये। वाद भूमि रोही मौजा शेरडा के खाता सं0 409/406 के ख0सं0 561 की 1.0490 है0, ख0सं0 853 की 1.1760 है0, ख0सं0 861 की 4.0470 है0, ख0सं0 879 की 5.1980 है0 कुल खसरा 4 की कुल 11.4700 है0 बारानी वादभूमि में वादी सं0 1 इन्द्रसिंह को 1/12 हिस्सा, वादी सं0 2 रामनिवास को 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 24 कान्ता व प्रतिवादी सं0 25 मन्जू को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 26 कृष्ण कुमार को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 27 ओमप्रकाश को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 30 विक्रम सिंह को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 31 विवेक को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 33 रवि को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 36 राजबाला को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किए जावे। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि मौजा शेरडा के खाता सं0 409/406 के ख0सं0 561 की 1.0490 है0, ख0सं0 853 की 1.1760 है0, ख0सं0 861 की 4.0470 है0, ख0सं0 879 की 5.1980 है0 कुल खसरा 4 की कुल 11.4700 है0 बारानी वादभूमि में वादी सं0 1 इन्द्रसिंह को 1/12 हिस्सा, वादी सं0 2 रामनिवास को 1/9 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 24 कान्ता व प्रतिवादी सं0 25 मन्जू को संयुक्त रूप से 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 26 कृष्ण कुमार को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 27 ओमप्रकाश को 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 30 विक्रम सिंह को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 31 विवेक को 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं0 33 रवि को 1/9 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 36 राजबाला को 1/9 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। प्रतिवादी सं0 1 ता 23 ने वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 24 ता 28, 30 ता 33 व 36 के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 28 ने वादी सं0 1 व प्रतिवादी सं0 24 ता 27 के के पक्ष में अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। प्रतिवादी सं0 32 ने अपना हक हिस्सा प्रतिवादी सं0 33 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। अतः त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटि अदा करने पर व यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/1/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.02.07 14:21:06 IST
Reason: SelfAttested

(कल्पित शिवरान) RAS
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner